



184

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल चंबल संभाग ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : 914 / 2017 पुनर्विलोकन पत्र

III/पुनर्विलोकन/अप/अ/2017/2607

- 1- बच्चन सिंह आयु 55 वर्ष
- 2- हाकिम सिंह आयु 52 वर्ष
- 3- लालसिंह आयु 46 वर्ष

पुत्रगण स्व. श्री मुरारीलाल बघेल
निवासीगण-ग्राम दैपरा, तहसील अटेर
जिला भिण्ड (म0प्र0)

आवेदक

बनाम

- 1- रामदत्त आयु 39 वर्ष पुत्र छोटेलाल
- 2- छोटेलाल पुत्र श्री तुलसीराम आयु 72 वर्ष, जाति बघेल निवासीगण-ग्राम दैपरा, तहसील अटेर जिला भिण्ड (म0प्र0)

अनावेदकगण

आवेदन पत्र वास्ते पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 914/2017 को पुनः

नम्बर पर लिए जाने बावत

महोदय,


आवेदकगण की ओर से आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि, प्रकरण में आवेदकगण की ओर से दिनांक 22/12/2016 के आदेश को पुनर्विलोकन किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण क्रमांक 914/2017 पर अंकित हुआ तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 21/06/2017 अनावेदक की उपस्थिति हेतु नियत की गई तथा दिनांक 21/06/2017 को अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री तोमर उपस्थित हुए और तर्क प्रस्तुत कर दिये गये जिस



M

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

स्थान तथा दिनांक	प्रकरण क्रमांक तीन/पुनर्वा लोकन/भिण्ड/भूरा/2017/2607 कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
16.8.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री धीरज तिवारी उपस्थित होकर रेस्टो0 आवेदन पर तर्क किया गया। उनके द्वारा बताया गया है कि अधिवक्ता के अनुपस्थिति में प्रकरण क्रमांक रिव्यु 914-दो/17 दिनांक 22.6.17 को अदम पैरवी में निरस्त हो चुका है। अतः पुनः नम्बर पर लिया जावे। आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण क्रमांक रिव्यु 914-दो/17 दिनांक 22.6.17 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण रेस्टोर्ड किया जाकर समाप्त किया जाता है।</p>	<p> सदस्य</p>